

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**अधिसूचना**

अ०स० :- 2/अ०प्र०-1-97/2017 1011 /पटना, दिनांक :- 8.6.22

कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा अन्तर्गत जी०टी०एस०एन०वाई० से संबंधित माननीय स०वि०स० से प्राप्त छूटे हुये टोलों/पथों का जॉचोपरान्त प्रतिवेदन विलंब से विभाग को समर्पित करने संबंधी आरोपों पर श्री अजय कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित विभागीय पत्रांक 3212 दिनांक 08.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री तिवारी के पत्रांक 567 दिनांक 03.04.2018 से प्राप्त स्पष्टीकरण विभागीय समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में विभागीय पत्रांक 352 अनु० दिनांक 21.01.2020 द्वारा श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

3. श्री तिवारी के पत्रांक 140 दिनांक 10.02.2020 से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान में वर्णित तथ्यों की समीक्षा नोडल पदाधिकारी, जी०टी०एस०एन०वाई० से करायी गयी। समीक्षा में नोडल पदाधिकारी, जी०टी०एस०एन०वाई० द्वारा यह उल्लेख किया गया कि श्री तिवारी द्वारा छपरा से मढ़ौरा की दूरी 32 कि०मी० होना, यातायात सुगमता अच्छा नहीं होना, दूरसंचार एवं इन्टरनेट सेवा कम या बाधित रहने को विलम्ब का कारण बताया गया है। दूरी एवं इन्टरनेट सेवा के कारण प्रतिवेदन विलंब से समर्पित किया जाना स्वीकारात्मक नहीं होने का मंतव्य नोडल पदाधिकारी, जी०टी०एस०एन०वाई० द्वारा दिया गया।

4. अतः उक्त के आलोक में मामले की समग्र समीक्षोपरान्त श्री अजय कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-1 के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय-समय पर संशोधित) के नियम 14(i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

**(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2016-17)**

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
8.6.22  
(कृष्ण मोहन सिंह)

उप सचिव

ज्ञापक :- 2/अ०प्र०-1-97/2017 1012 /पटना, दिनांक :- 8.6.22

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.6.22  
उप सचिव



15/06/2017  
(11)

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-1-97/2017 1012/पटना, दिनांक :- 8-6-22

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अजय कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/06/22  
उप सचिव